

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उपरो शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक- 29 अप्रैल , 2014

विषय- लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/6/1/2014-सी0सी0 एण्ड बी0ई0, दिनांक-23.04.2014 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक-23.04.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(ओम प्रकाश तिवारी) 28/4/14

अनु सचिव

संख्या- 407 (1) /अड्तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उपरो लखनऊ को भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक- 23.04.2014 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)

अनु सचिव

407/38-9-14

सं. 92/एन.एस.डी./निर्वाचन/2014

By Fax/Spl. Messenger/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 437/6/1/2014-CC&BE

Dated: 23rd April, 2014

To

500(8)/2014

sl-1

1. **The Cabinet Secretary,**
Government of India,
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi.
2. **The Secretary to the Government of India,**
Department of Programme Implementation,
Sardar Patel Bhawan,
New Delhi.
3. **The Chief Secretaries to the Governments of :-**
all States and Union Territories.
4. **The Chief Electoral Officers of :-**
all States and Union Territories.

Subject: General Election to Lok Sabha - 2014 and simultaneous elections to State Legislative Assemblies in the States of Andhra Pradesh, Odisha and Sikkim and certain bye-elections- Release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme.

Sir,

I am directed to refer to the Commission's letter of even number dated 5th March, 2014 on the subject cited, wherein Commission prescribed guidelines on the subject during the Model Code period.

निर्वाचन/तत्काल The matter was again considered by the Commission and it has been decided that where schemes have been cleared and funds are provided or released and materials procured and reached the site such scheme may be executed as per programme.

क.स. नि.के.ए.ए. शा. वि. का.
 तदनुसार सभी डी खर्च करें।
 [Signature]

3329/4/2014
 Yours faithfully,
 [Signature]

so-RO-9
 (K. AJAYA KUMAR)
 PRINCIPAL SECRETARY

[Signature]
 28.4.14
 6.10.14